# प्रेस विज्ञप्ति

**क.भ.नि.सं., नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल, 2018**

श्री संतोष कुमार गंगवार, केंद्र श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में केंद्रीय बोर्ड (क.भ.नि.) ने आज अपनी 221वीं बैठक, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की ।

बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए क.भ.नि.सं. के कार्य एवं गतिविधियों पर 64वीं मसौदा वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई। बोर्ड ने वार्षिक रिपोर्ट के लिए अपनी स्वीकृति दी तथा संसद में प्रस्तुत करने के लिए अपनी सहमति दी ।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ई.टी.एफ.) में निवेश की लेखा नीति को केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 219वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। इक्विटी में निवेश (ई.टी.एफ.) की अनुमोदित लेखा नीति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सभी अंशदाताओं के पास व्यक्तिगत रूप से दो पृथक सदस्य लेखा शीर्ष रहेंगे: (क) नियत आय जहां नियत वार्षिक व्याज सदस्य खाते में जमा होगा तथा (ख) इक्विटी (ई.टी.एफ.) जहां इक्विटी में निवेश इकाईयों के रूप में प्रतिबिंबित होता है और रिटर्न मार्किट के लिए अंकित होता है। इसके अतिरिक्त समिति, एफ.आई.ए.सी. ने निम्नलिखित परिशोधनों का सुझाव दिया:-

(i) अंशदाताओं को उनके अंशदानों का केवल 15% हेतु क.भ.नि.सं. की इक्विटी यूनिटें आबंटित की जाएंगी।

(ii) अंशदाताओं के आबंटन के अतिरिक्त अन्य सभी यूनिट क.भ.नि.सं. के पास रहेंगी।

(iii) क.भ.नि.सं. के इन इक्विटी इकाइयों के आवधिक निपटान के लिए अलग से एक नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

(iv) सभी अंशदाताओं के लिए इक्विटी रिटर्न की अस्थिरता को ठीक करने के लिए तथा न्याय संगत रिटर्न देते के लिए एक पृथक रिटर्न निधि सृजित करने की आवश्यकता है।

(v) एक निश्चित अवधि के लिए इस लेखा पद्धति को प्रचालित करने के पश्चात् अंशदाताओं के लिए अनिवार्य इक्विटी निवेश सीमा (वर्तमान में 15%) से आगे इक्विटी आंबंटन को बढ़ाने तथा निर्दिष्ट इक्विटी निवेश सीमा से कम इक्विटी आबंटन को घटाने का विकल्प दिया जाना चाहिए। उक्त पद्धति के क्रियान्वयन के पश्चात् बाद की अवधि में इस पहलू को अपनाया जा सकता है।

एफ.आई.सी. की उपर्युक्त सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया एवं इसे अनुमोदित किया गया।

केंद्रीय बोर्ड ने अगस्त, 2015 से 28 फरवरी 2018 तक के इक्विटी निवेश पर निवेश एवं नोशनल रिटर्न को नोट किया, जो 17.23% का रिटर्न देते हुए रू. 41,967.51 करोड़ पर टिका।

PRESS RELEASE

EPFO, New Delhi, dated 13th April 2018

The Central Board (EPF) today held its 221th meeting at Shram Shakti Bhawan, New Delhi under the chairmanship of Union Minister of State for labour & Employment (Independent Charge) Shri Santosh Kumar Gangwar.

In the meeting, 64th draft annual report on the work and activities of EPFO for the year 2016-17 was tabled before the Board before placing it in the Parliament. The Board accepted the annual report and gave consent to place it before the Parliament.

An accounting policy of investment in Exchange Traded Funds (ETFs) for Employees' Provident Fund Scheme was approved in the 219th meeting of the CBT, EPF meeting. As per the approved accounting policy of investment in equity (ETF), all subscribers of the EPF Scheme would individually have two separate member account heads (a) Fixed Income where fixed annual interest gets credited to members account and (b) Equity (ETF) where investment in equity is reflected as units and the return is marked to market. The Committee, FIAC further suggested the following modifications:-

i. Subscribers to be allocated EPFO equity units only for 15% of their contributions.
ii. All units over and above this allocation to all the subscribers would be held by EPFO.
iii. A separate policy for periodic disposal of these EPFO equity units needs to be formulated.
iv. A separate reserve fund for smoothening out volatility of equity returns and to provide equitable returns to all the subscribers also needs to be created.
v. After operation of this accounting methodology for a certain period, option of enhancing equity allocation beyond the mandated equity investment limit (presently 15%) and also the option of reducing equity allocation below the mandated equity investment limit may also be given to the subscribers. This aspect may be explored at a later stage after implementation of the methodology.

The above recommendations of the FIAC were considered and approved by the Board.

The Central Board also took note of the investment and notional return on ETF investment from August 2015 to till 28th February 2018 which stood at Rs 41,967.51 crore giving return of 17.23%.

**********